कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 63/नातौ/अ–3/2003, भोपाल दिनांक 7.1.2004

प्रति,

समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक,
नाप तौल,
मध्यप्रदेश

विषयः– सुधारक की बिल बुको का प्रारूप।

1. राज्य के अनुज्ञप्तिधारी सुधारकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बिल बुक का प्रारूप कार्यालय के परिपत्र क्रं. 4/1982 ज्ञा.क्रं. 7609/नातौ/अ–1/1/82 दिनांक 1 जुलाई 1982 द्वारा निर्धारित करते हुए दिनांक 1/10/1982 से लागू किया गया।

2. दिनांक 10/11/2003 को मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित उप नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक नाप तौल द्वारा बतलाया गया कि कतिपय अनुज्ञप्तिधारी सुधारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप बिलबुक नहीं छपवाकर अपने मनमाने ढंग से बिल बुक छपवाई जाकर उपयोग किया जा रहा है। जिससे व्यापारियों द्वारा विभाग को शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अतः सुधारकों के बिल बुक में एक रूपता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रचलित बिलबुक में संशोधन किया गया है जिसका निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।

3. सुधारकों द्वारा छपवाई गई बिलबुक एवं उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तिकाओं का लेखा जोखा रखे जाने के संबंध में प्रत्येक निरीक्षक बिलबुक की एक पंजी रखेंगें जिसमें छपवाई गई बिलबुक एवं उनके उपयोग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसे विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान भी देखा जा सकेगा।

4. सुधारकों द्वारा छपवाई गई पुस्तकों में पेज संख्या का सत्यापन निरीक्षक द्वारा किया जावेगा।

5. उपरोक्त प्रारूप के अनुसार राज्य अनुज्ञप्तिधारी सुधारकों द्वारा व्यापारिक संस्थाओं से सुधार एवं पुनः सत्यापन हेतु प्राप्त नाप तौल उपकरणों के लिए बुक तीन प्रतियों में छपवाई जावेगी। बिल बुक की प्रति पूर्वानुसार व्यापारी एवं निरीक्षक को दी जावेगी। पुनरीक्षित प्रपत्र पर '.बिल दिनांक 1.4.2004 से जारी किये जायेंगे किंतु जिन्हें नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति जारी की जावे उन्हें संशोधित प्रपत्र पर ही बिल बुक लाना अनिवार्य रहेगा। ऐसी नवीन अनुज्ञप्ति के साथ बिल बुक का प्रपत्र जारी किया जावें।

6. आपके क्षेत्रान्तर्गत सुधारकों को निर्देश दिए जावें कि वे संशोधित प्रापत्र के अनुसार बिल बुक छपवाकर दिनांक 1.4.2004 से उपयोग प्रारंभ कर दें। दिनांक 31.3.2004 के बाद यदि किसी सुधारक द्वारा अन्य प्रपत्र पर बिल जारी करना पाया गया तो अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

इन निर्देशों का पालन यथावत होना सुनिश्चित करना आपका कार्य है। सभी निरीक्षक इन निर्देशों का पालन होना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र पावती की अभिस्वीकृति भेजें।

संलग्न :– निर्धारित प्रपत्र

(एस.के. उपाध्याय)
नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 64/नातौ/अ–3/2003, भोपाल, दिनांक 7.1.2004

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त नियंत्रक,/दाशसिक अधिकारी, नाप तौल, मुख्यालय भोपाल,
2. अधीक्षक नाप तौल मुख्यालय भोपाल
3. समस्त निरीक्षक नाप तौल मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। वे सुधारको की बिल बुक का प्रारूप देवें व कण्डिका 3 अनुसार रजिस्टर

संधारित करें। संबंधित पंजी पे निरीक्षक नण द्वारा पेज संख्या, सत्यापन करने का विवरण अंकित करेंगे।

4. प्रवर्तन/स्थापना/लेखा/आडिट/अनुज्ञप्ति शाखा की ओर सूचनार्थ। नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के साथ निर्धारित बिल बुक का प्रपत्र जारी किया जावेगा।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

<u>बिल बुक का प्रारूप</u>
<u>केश मेमो</u>

1. सुधारक अनुज्ञप्तिधारी संस्था का नाम व वर्कशाप का पता

2. अनुज्ञप्ति क्रमांक व वर्ष

3. बुक क्रमांक बिल क्रमांक दिनांक

4. व्यापारी का नाम व्यवसाय व पता

5	प्राप्त उपकरणो का विवरण/पता	विगत मुद्रांकन का वर्ष एवं तिमाही	पुनः सत्यापन /मुद्रांकन शुल्क	सुधारक का व्यय	कुल योग
1.	तुला (कॉटा) श्रेणी काउंटर बेलेन्स				
2.	बॉट लोहा, वुलियन/ नान वुलियन (पीतल)				
3.	नाप–लंबाई नाप शंकु आकार डुबोने वाले उड़ेलनेवाले				
4.	अन्य				
		कुल योग			

हस्ताक्षर सुधारक

6. निरीक्षक द्वारा जारी किया गया सत्यापन प्रमाण–पत्र क्रमांक......... दिनांक............. उपकरण मय सत्यापन प्रमाण–पत्र को प्राप्त किया

हस्ताक्षर सुधारक